VICTIM RIGHTS LAW CENTER

आदर्श आलेख: स्कूल में बोलता हुआ/बोलती हुई अनिवार्य रिपोर्टर

यह उन अधिवक्ताओं के लिए आदर्श आलेख है जो उन क्षेत्राधिकारों में काम करते हैं जहाँ वे अनिवार्य रिपोर्टर हैं। इस आलेख में अधिवक्ता स्कूल में किशोरों से अपनी बात कह रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी ज़रूरत, अपनी भाषण शैली, अपने सेवा क्षेत्र के नाबालिगों, अपने क्षेत्राधिकार के क़ानून और अपने संगठन की आवश्यकताओं के हिसाब से इस आलेख में संशोधन कर लेंगे।

हेलो, मेरा नाम है _____ , और मैं _____ में काम करता/करती हूँ।
हमारा संगठन _____को निःशुल्क सेवायें प्रदान करता है।

मैं आज यहाँ आपके साथ [घरेलू हिंसा/यौनशोषण/पीछा करने/बाल शोषण] से संबंधित कुछ जानकारी देने करने आया/आयी हूँ। यह हिंसा हमारे समुदाय में बहुत से लोगों को प्रभावित करती है जिनमें इस कमरे में बैठे हम में से कई लोग भी शामिल हैं। मैं जो भी कहूँगा/कहूँगी उसमें से कुछ बातें आपको व्यक्तिगत रूप से जानी-पहचानी लग सकती हैं और आपके कुछ ऐसे सवाल प्रश्न या चिंतायें हो सकती हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं।

मैं आपको सवाल पूछने का समय दूँगा/दूँगी, पर पहले मैं आपको निजता-संबंधी कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता/चाहती हूँ। हमारे संगठन का यह दृढ़ विश्वास है कि पीड़ितों को यह निर्णय करने का अधिकार है कि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है और उनकी सूचना के साथ क्या किया जाए। इस कारण, हम चाहते हैं कि आप यह समझ लें कि जो जानकारी आज आप मेरे साथ या बाद में [संगठन का नाम] के दूसर कार्यकर्ताओं के साथ साझा करेंगे उसका क्या किया जाएगा।

मैं बाल शोषण का/की अनिवार्य रिपोर्टर हूँ। आमतौर पर, इसका मतलब यह है कि यदि मुझे पता है या संदेह है कि किसी बच्चे के साथ शोषण या उपेक्षा हो रही है, तो मेरे लिए [पुलिस को या बाल संरक्षण सेवाओं को] उसकी सूचना देना ज़रूरी है। यद्यपि मैं बाल शोषण का/की अनिवार्य रिपोर्टर हूँ, फिर भी आपके या आपके किसी परिचित के साथ घटित हुई किसी घटना के बारे में आपके कोई सवाल हों तो आप हमारी हॉटलाइन पर अपना नाम या उम्र बताये बिना, गोपनीय तरीके से फ़ोन कर सकते हैं, यदि आप अपना नाम या टेलीफोन नंबर बताते हैं तो अगर रिपोर्ट आवश्यक हुई तो उसमें आपकी यह सूचना शामिल की जायेगी।

मैं अपनी अनिवार्य रिपोर्टिंग संबंधी जिम्मेदारियों के बारे में सब कुछ स्पष्ट बताना चाहता/चाहती हूँ क्योंकि कभी-कभी रिपोर्टिंग ठीक वैसी ही होती है जैसी पीड़ित चाहता है, पर कभी-कभी वैसी नहीं भी होती। आप, आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई सदस्य जो शोषण से गुजर रहा है यदि आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं ो मैं खुशी से सुनने के लिए तैयार हूँ। पर कृपया यह जान लें कि आप मुझे जो भी बतायेंगे उस सूचना के स्वरूप पर निर्भर करते हुए मैं उस जानकारी को गोपनीय रखने में असमर्थ भी हो सकता/सकती हूँ; मुझे उसकी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है।

हालांकि, मैं अनिवार्य रिपोर्टर हूँ, हर कोई ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं जिनसे आप अकेले में गोपनीय तरीके से बात कर सकते हैं और जिन्हें कुछ रिपोर्ट भी नहीं करनी पड़ती। मैंने आपको जो कागज़ दिया है उसमें हमारे संगठन के और दूसरे संगठनों के ऐसे कुछ लोगों की सूची दी गयी है, जहाँ हमारे कर्मचारी काम कर चुके हैं और जिन पर उनका विश्वास है।

हम चाहते हैं कि आप वे सेवायें चुन लें जो आपके लिए सबसे अधिक मददगार होंगी। हमें आशा है कि इस प्रस्तुति से आपको वह जानकारी मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है ताकि ज़रूरी होने पर आपको सहायता मिल सके।

और मैं अपने साथ एक “प्रश्न पेटिका” भी लाया/लाई हूँ। अपनी प्रस्तुति के अंत में, मैं आप सब से उस कागज़ पर कुछ लिखने को कहूँगा/कहूँगी जो मैंने आपको दिया है: कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी, आज की मेरी प्रस्तुति पर अपने विचार, निर्णय आपका है। फिर कागज़ को मोड़कर प्रश्न पेटिका में डाल दें। भले ही आपके पास हमारे लिए कोई प्रश्न न हो, अगर आप चाहें तो आपके कुछ लिखने से मदद मिलेगी। से उन लोगों की निजता संरक्षित करने में मदद मिलेगी जिनके पास लिखने को कुछ है।

अंत में, कृपया इस प्रस्तुति के दौरान और उसके बाद अपना ख्याल रखें। हम यहाँ एक सुरक्षित माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं; क्या ऐसा और भी कुछ है जिसे करके हम आपको और अधिक सहज महसूस करा सकते हैं?

मैं अपनी बात शुरू करूँ, उससे पहले आपका कोई प्रश्न है?

© 2018 पीड़ित अधिकार क़ानून केन्द्र। यह परियोजना यू.एस. न्याय विभाग के महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान संख्या 2015-TA-AX-KO25 द्वारा समर्थित थी। राय, प्राप्त की गयी जानकारी और अभिव्यक्त निर्णय लेखक के हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे यू.एस. न्याय विभाग के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।